STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

के विषय में, Higher Authority

Decision No.

ध्यान दें:

दावेंदार नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e), का अवलोकन करने पर Board of Review(“Board”) के समक्ष अपील के डॉकेट नंबर N.C. Gen.Stat. §96-15(c), के अंतर्गत अपील रेफरी द्वारा (एक निर्णय) (रद्द करने के लिए आदेश) से प्राप्त अपील पर विचार किया जाए:

इसके संबंधित भाग में दिया गया है :

जब भी एक अपील रेफरी या सुनवाई के अधिकारी के निर्णय से किसी अपील को लिया जाता है, तो अपील करने वाले पक्ष को स्पष्ट रूप से लिखित एक विवरण को जमा करना होता है, जिसमें अपील करने के आधार को कानून द्वारा अपील को स्वीकार करने के लिए तय की गई समय सीमा के अंदर जमा करना शामिल होता है, और यदि समय पर उस विवरण को जमा न करवाया जाए, तो Board of Review द्वारा अपील को रद्द किया जा सकता है।

04 N.C. Admin. Code 24C .0501 के अनुसरण के द्वारा अपील रेफरी के (निर्णय) (आदेश) के पृष्ठों..... पर रिकॉर्ड से यह प्रकट होता है कि पक्षों को "आधार" आवश्यकताओं को बारें में सूचित किया गया था। जिसे .... को सभी इच्छुक पक्षों को प्रेषित किया गया था। अपील अधिकारों का निम्न जानकारी प्रकट हुई है :

यह निर्णय विभाग का अंतिम निर्णय माना जाऐगा जब तक इसे प्रेषित किए जाने की तिथि से लेकर 10 दिनों के भीतर अपीलकर्ता पक्ष द्वारा स्पष्ट, लिखित विवरण जमा नही किया जाता, जिसमें अपील करने के आधारों को सम्मिलित किया गया हो। यदि इस तरह के विवरण को समय पर जमा नही किया जाता, तो संभवत: अपील को खारिज किया जा सकता है।

रिकॉर्ड से यह भी प्रकट हुआ है कि (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा निम्न शब्दश: विवरण प्राप्त किया गया :

उपरोक्त विवरण स्पष्ट तौर से (दावेदार) (नियोक्ता) की अपील के लिए किसी आधार का वर्णन करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप यह N.C. Gen. Stat. §96-15(c) और 04 N.C. Admin. Code 24C .0501 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नही करता, जो अपील के आधारों के लिए एक लिखित, स्पष्ट विवरण को जमा किया जाए है। इस कारण से अपील खारिज हो सकती है। बोर्ड द्वारा अपने निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपील को खारिज किया जाऐगा।

अपील को खारिज कर दिया गया।

अपील रेफरी का (निर्णय) (खारिज करने के लिए आदेश) अंतिम है।

Board of Review के सदस्य Keith A. Holliday व Stan Campbell ने इस अपील में भाग लिया व इस निर्णय से सहमति जताई।

यह .

BOARD OF REVIEW

....

Chairman

नोट : उच्चतम प्राधिकरण का निर्णय प्रेषित करने के 30 दिनों के बाद तब अंतिम माना जाऐगा, जब उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए कोई याचिका दाखिल नही की जाती, जैसाकि नीचे सांकेतिक है। प्रेषित करने की तिथि को इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर देखा जा सकता है। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह नही देता, कृप्या उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय पर अपील किस प्रकार से की जाए, पर अतिरिक्त जानकारी के लिए संलग्न ब्रोशर को देखें। यह ब्रोशर राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों में व Division of Employment Security की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप of Employment Security की वेबसाइट www.des.nc.gov के सेक्शन *Frequently Asked Questions* पर भी विजिट कर सकते हैं व स्वयं चुने गए अटार्नी से परामर्श कर सकते हैं।

न्यायिक समीक्षा के लिए अपील के अधिकार

इस उच्चतम प्राधिकरण निर्णय से अपील उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास अपीलकर्ता द्वारा उस काउंटी में की जाए जहा पर वह रहता या रहती है या फिर जो अपील करने वाले के व्यावसाय प्रमुख स्थान है। यदि अपील करने वाला पक्ष किसी भी काउंटी में नही रहता/रहती या फिर उसकी व्यावसाय नॉर्थ कैरोलिना की किसी भी काउंटी के प्रमुख स्थानों पर नही है तो अपील को आवश्यक तौर पर नॉर्थ कैरोलिना की प्रमुख काउंटी के उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास अथवा फिर नॉर्थ कैरोलिना की उस काउंटी के उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास किया जाए जहां पर विवाद उत्पन्न हुआ है।

उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय प्रेषित करने की तिथि से (30) दिनों के बाद उस स्थिति में अंतिम होगा जब समय से N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) and (i). का अनुसरण करते हुए उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका दाखिल नही की जाती।

महत्वपूर्ण - आगे के पृष्ठ देखें

उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास न्यायिक समीक्षा हेतु फाइल की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को याचिका फाइल करने के 10 दिनों के भीतर Division of Employment Security (“Division”) में व कार्यवाही के रिकॉर्ड में मौजूद सभी पक्षों को आवश्यक तौर पर भेजा जाए। याचिका की प्रतियों को व्यक्तिगत सेवा अथवा प्रमाणित डाक, जिसमें प्राप्ति की रसीद आवश्यक हो, से भेजा जाए। उच्चतम न्यायालय की समीक्षा हेतु दायर की गई याचिकाओं को आवश्यक तौर पर भेजा जाए व सेवा की प्रक्रिया के लिए विभाग के पंजीकृत ऐजेंट को संबोधित किया जाए :

A. John Q Lawyer

Chief Counsel

North Carolina Department of Commerce

Division of Employment Security

पत्र भेजने का पता : Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903

वास्तविक पता : 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

नोट : यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए दायर की गई याचिका हेतु याचिका की प्रति भेजी जाती है तो आप न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के लिए एक पक्ष तब तक नही होंगें, जब तक (1) आप याचिका प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय को इस बारें में सूचित नही कर देते कि आप कार्यवाही का एक पक्ष बनना चाहते हैं, या (2) जैसाकि N.C. Gen. Stat. § 1A-1, Rule 24. में दिया गया है, हस्तक्षेप करने के लिए एक प्रस्ताव फाइल नही करते।

<u>सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना</u>

जैसाकि 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) में परिभाषित किया गया है, एक कानूनी प्रतिनिधि (जिसमें तीसरे पक्ष की कंपनी जोकि नियोक्ता के बेरोजगार बीमा प्रबंधक के तौर पर सेवाएं दे रही है, से व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।), के लिए अति आवश्यक है कि वह लाइसेंसधारी अटार्नी हो या एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे लाइसेंस धारी अटार्नी द्वारा N.C. Gen. Stat. Ch. 84 and § 96-17(b) का अनुपालन करते हुए निदेशित किया जा रहा हो। सूचना और /या अटार्नी के निदेशन की प्रमाणिकता को 04 N.C. Admin. Code 24C.0504 का अनुसरण करते हुए लिखित रूप में होना चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रस्तुतिकरण के साथ N.C. Gen. Stat. Ch. 84. का अनुपालन आवश्यक तौर से किया जाना चाहिए।**

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 का अनुपालन करते हुए, जब एक पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि हो, पक्ष को उपलब्ध करवाए जाने वाले सभी दस्तावेज या जानकारियों को केवल कानूनी प्रतिनिधि को ही भेजा जाए। एक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को जो भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाऐगी, उसका उतना ही बल व प्रभाव होगा जितना कि पक्ष को सीधे तौर पर भेजी गई जानकारी का होता।

30 जून 2013 को या उसके बाद फाइल किए गए क्लेम्स के लिए, दावेदार को किसी प्रशासनिक अथवा न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभ को अपील करने पर निर्णय के पलट जाने पर पुन: भुगतान का विषय मानना होगा। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2).

दावेदार के लिए विशेष सूचना : यदि आपने रेखांकित क्लेम से संबंधित बेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त कर रहें हैं या पहले प्राप्त किया है व इस उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय के नियम के तहत आप संपूर्ण लाभ या उसके एक भाग के लिए आयोग्य या अमान्य हो जाते हैं तो हो सकता है कि N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2). का अनुसरण करते हुए आपको लाभों का अतिरिक्त भुगतान किया गया हो। यदि उच्चतम प्राधिकरण के इस निर्णय के अनुसार अधिक भुगतान किया गया है तो आपको विभाग के Benefits Integrity/Benefit Payment Control Section. से अतिरिक्त भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण का एक अलग नोटिस भेजा जाऐगा। अतिरिक्त भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण के नोटिस में अन्य बातों के साथ, आपकी पुन: भुगतान की राशि या अन्य कोई जुर्माना राशि जो लागू होती हो, को भी निर्दिष्ट किया जाऐगा। कृप्या ध्यान दें, इस अतिरिक्त भुगतान राशि को चुनौती देने का केवल एक ही मार्ग है कि आप इस उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए नॉर्थ कैरोलिना के नियमों का पालन करते हुए याचिका दायर करें, जैसाकि ऊपर दिया गया है। आपकी याचिका में, आप यह आवश्यक तौर पर निर्दिष्ट करें कि आप अपील (1) विषय, अमान्यता या अयोग्यता के विषय या (2) निर्धारण के परिणाम स्वरूप आपको लाभों के अतिरिक्त भुगतान के बारें में है।

अपील फाइल की गई :   निर्णय प्रेषित किया गया :